राजस्व वाद संख्या 28/2002 राजस्थान सरकार बनामः ओटा पुत्र माना भील सा.गोगरा वगैरा
वाद अन्तर्गत धारा 175 RTAct,1955

हुक्म तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	हुक्म तामील नंबर व तारीख
01.06.2016	वादी तहसीलदार सुमेरपुर उपस्थित। प्रतिवादी अनुपस्थित। यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प अटल सेवा केन्द्र–पावा में बरोज आज पेश हुई। हमने, राजस्व लोक अदालत की भावना से वादी–पक्ष की दलील को सुना, साथ ही पत्रावली का अवलोकन व परीक्षण किया। फलस्वरुप प्रकरण की वाद–विषयक स्थिति अनुसार सरहद मौजा पावा तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि गत् खसरा नं. 982 रकबा 7)10 बीघा प्रतिवादी सं.01 ओटा पुत्र माना कौम भील सा. गोगरा जो कि अनुसूचित जनजाति का सदस्य है, की खातेदारी थी तथा उक्त वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी सं. 02 जसाराम पुत्र महराम कौम जाट सा.गोगरा जो कि सवर्ण जाति का सदस्य है, का उपकाश्त होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा 46(ए) के तहत अवैध होने से उक्त भूमि पर से प्रतिवादी सं.02 जसाराम को बेदखल करवाकर उक्त भूमि राजकीय सिवायचक घोषित किया जाए। प्रतिवादी सं.02 की ओर से कोई प्रतिकथन पेश नहीं हुआ, बल्कि प्रतिवादी सं.03 चतराराम पुत्र भोमाराम कौम नायक सा.मुन्डेल तह.नागोर ने वादग्रस्त कृषि भूमि पंजीबद्ध दस्तावेज दिनांक 08.06.1966 द्वारा प्रतिवादी सं.01 से खरीद की है तब से उसका ही मौके पर कब्जा काश्त है। इसलिए वादी का यह वादपत्र खारिज फरमावे। सरकार पैरोकार नायब तहसीलदार सुमेरपुर ने जाहिर किया कि वादग्रस्त भूमि के हाल खसरा नं. 2273 रकबा 2.00 हेक्टर मघाराम पुत्र मंगलाराम कौम भील सा.अलाय तह.नागोर (1. 36 हेक्टर) व चंदाराम पुत्र चतराराम कौम भील सा.मकोडी तह.नागोर (0.64 हेक्टर) खातेदार दर्ज है, परन्तु वादग्रस्त भूमि पर खातेदार प्रतिवादी सं.01 ओटा पुत्र माना भील नि. गोगरा का कब्जा नहीं होकर उक्त भूमि पर पिछडा वर्ग जाति के व्यक्ति का अवैध कब्जा है, इसलिए उक्त वादग्रस्त भूमि हाल खसरा नं.. 2273 रकबा 2.00 हेक्टर को नियमानुसार राजकीय बिलानाम घोषित की जावे। पत्रावली पर उपलब्ध तमाम रेकर्ड इत्यादि तथ्यों के आधार पर वादी के कथित वाद पत्र में वर्णित तथ्यों की बखुबी पुष्ठि होती है और इस संदर्भित विचारण करने के पश्चात् हमने पाया है कि प्रतिवादी सं.1 ओटा भील अथवा प्रतिवादी सं.03 चतराराम नायक दोनों ही व्यक्ति अनुसूचित जनजाति के सदस्य है व इनकी प्रश्नगत् खातेदारी कृषि भूमि पर प्रतिवादी सं.02 जसाराम जाट अथवा पिछडा वर्ग जाति के अन्य किसी सदस्य का बतौर उपकाश्त अवैध कब्जा होना पाये जाने से कतिपय प्रावधान R.T.Act,1955 की धारा 46(ए) के तहत प्रथम दृष्ट्या स्पष्टतः उल्लंघन प्रतीत होने से हमारे विधिक विचारों में उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि को सिवायचक घोषित करते हुए कब्जा राज्य सरकार लिए जाने का निर्णय/डिक्री पारित करना एवं उक्त घोषित सिवायचक भूमि के बारे में विधिवत् आवंटन की कार्यवाही सुनिश्चित नहीं हो जाए, तब तक उक्त सिवायचक भूमि की देखभाल व प्रतिवर्ष काश्त के लिए नियमानुसार कार्यवाही व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने हेतु तहसीलदार सुमेरपुर व पटवारी हल्का पावा को आदेशित किया उचित समझते है।	

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

राजस्व वाद संख्या 28/2002 राजस्थान सरकार बनामः ओटा पुत्र माना भील
वाद अन्तर्गत धारा 175 RTAct,1955

हुक्म तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

अतः उल्लेखित विवेचन तथ्यों के परिणामतः यह वादपत्र स्वीकार एवं डिक्री किया जाकर अनुसार सरहद मौजा पावा तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नं. 2273 रकबा 2.00 हेक्टर को सिवायचक घोषित करते हुए कब्जा राज्य सरकार लिए जाने का निर्णय/डिक्री पारित किया जाता है। साथ ही तहसीलदार सुमेरपुर व पटवारी हल्का पावा को आदेशित किया जाता है कि वे उक्त निर्णय/डिक्री के अनुरूप राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार सिवायचक दर्ज कर कब्जा सरकार तत्काल लिया जावे व उक्त घोषित सिवायचक भूमि के बारे में विधिवत् आवंटन की कार्यवाही सुनिश्चित नहीं हो जाए, तब तक उक्त सिवायचक भूमि की देखभाल व प्रतिवर्ष काश्त के लिए नियमानुसार कार्यवाही व्यवस्था सुनिश्चित करे। माफिक निर्णय डिक्री–पर्चा मुर्तिब हो। निर्णय व डिक्री–पर्चा की सत्यापित प्रति तहसीलदार सुमेरपुर व पटवारी हल्का पावा को पालनार्थ भेजी जावे।

यह निर्णय बरोज आज दिनांक 25.06.2016 को राजस्व लोक अदालत केम्प अटल सेवा केन्द्र पावा मे सुनाया गया। पत्रावली निर्णित व नंबर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला–पाली

Scanned by CamScanner